



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58326

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6359/2026

जितेंद्र

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : नरेंद्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 53

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची संशोधित की गई।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिवेणी शरण राय को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश मिले हैं, जिसके लिए उन्हें 20.02.2026 को समय दिया गया था।
4. यह जमानत याचिका बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक **जितेंद्र** द्वारा दायर की गई है, जिसमें मामला अपराध संख्या 009/2025, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 12/7 के तहत, पुलिस स्टेशन भ्रष्टाचार निरोधक (ए.सी.ओ.), आगरा, जिला आगरा में परीक्षण के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। हलफनामा का पैराग्राफ 10 दाखिल करते हुए यह बताया गया है कि आवेदक संबंधित बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी पर काम कर रहा है, जिसे लाइनमैन का काम सौंपा गया था। हलफनामा का पैराग्राफ 20 दाखिल करते हुए यह बताया गया है कि आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं है और वह संविदा कर्मचारी पर काम करता था और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12/7 का प्रावधान सिर्फ सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है और इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12/7 का प्रावधान आवेदक पर लागू नहीं होता। पूरक हलफनामे के पैराग्राफ 3 को पेश करते हुए, यह निवेदन किया जाता है कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आवेदक व एक अन्य सह-आरोपी अर्जुन के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। यह निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी अर्जुन को संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा सीसी संख्या 84/1820/2025 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2025 के माध्यम से जमानत प्रदान की गई है, उक्त आदेश की प्रति शपथ पत्र के साथ अनुलग्नक-8 के रूप में संलग्न है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जैसा कि शपथ पत्र के पैरा 09 में कहा गया है और वह 09.09.2025 से जेल में है।

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि आवेदक संबंधित बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। आवेदक के विरुद्ध रिश्वत की मांग का आरोप है। मामले में जांच समाप्त हो गई है और आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चुका है। सह-अभियुक्त अर्जुन को संबंधित विचारणीय न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्ष्य की प्रकृति और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना का संकेत देने वाली किसी भी ठोस सामग्री के अभाव को देखते हुए, यह न्यायालय इस विचार का है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

9. आवेदक- **जितेंद्र** को उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, न्याय के हित में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार से हानि या परेशान नहीं करेगा।

(ii) आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा और किसी भी प्रकार से मुकदमे के निपटान में विलंब नहीं करेगा।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जिस तारीख को गवाह सबूत देने के लिए अदालत में मौजूद होंगे, उस दिन वह सुनवाई स्थगित करने की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की शर्तों का दुरुपयोग मानकर उचित कानूनी आदेश पारित कर सकता है।

(iv) आवेदक किसी भी प्रकार से जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 2023 की बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार, 2023 के बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(v) आवेदक (1) मामला शुरू करने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 351 बी.एन.एस.एस., 2023 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करना खुला होगा और विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 269 बी.एन.एस., 2023 के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(vi) विचारण न्यायालय आवेदक की रिहाई के बाद मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करने का प्रयास कर सकता है।

10. जमानतदारों की पहचान, पद और पते का प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा जांचा जाएगा और यदि ऊपर दी गई कोई भी शर्त तोड़ी जाती है, तो न्यायालय जमानत खारिज करके आवेदक को जेल भेज सकता है।

11. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

12. लंबित याचिकाएं, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा।

20 मार्च 2026

एस राठौर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”